कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय, हनुमानगढ

क्रमांकः—लेखा/ओ—3/Vehicle/निलामी/2021/ दिनांक :—

वाहन निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड कार्यालय में नीचे सारणी में वर्णित वाहन जीप सं. आर.जे. 31 सी 2004 अधिशेष, अनुपयोगी सामग्री को नाकारा घोषित करने के उपरान्त व श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ के कार्यालय आदेश क्रमांक /प 33.(1)() न.वा./पूल/2019/407 दिनांक 22.09.2021 के क्रम में वाहन जहाँ है जिस स्थिति में है, निम्नानुसार निलामी की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता वर्णित शर्तो के अनुसार निलामी में भाग ले सकता है।

वाहन का विवरण	मात्रा	अनुमानित/पुस्तक मूल्य	धरोहर राशि	न्यूनतम बोली प्रारम्भ की राशि	निलामी स्थल	निलामी दिनांक एवं समय
जीप सं. आरजे 13 सी 2004	01	25000/—	5000/—	25000/—	कैनाल कालोनी, पीलीबंगा	12.10.2021 11.00 AM

निलामी की शर्ते निम्न प्रकार प्रकार से हैः—

1. प्रत्येक बोलीदाता को बोली देने से पूर्व सूची में दर्शाये अनुसार निर्धारित राशि नकद में जमा करवानी होगी। धरोहर राशि जमा न करवाने की दशा में बोलीदाता को बोली देने का अधिकार नहीं होगा।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटते ही बोली की राशि का ¼ भाग (25 प्रतिशत) मौके पर ही जमा करवानी होगी। असफलता की दशा में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. बोली की शेष रकम इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से सात दिवस के अन्दर—अन्दर जमा करवानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. बोली की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर खण्डीय कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश (कार्यादेश) जारी होने की दिनांक से सात दिवस के अन्दर—अन्दर स्वंय के खर्चे पर जीपों को उठाना होगा। निर्धारित अवधि पश्चात् जीप को उठाने का अधिकार बोली दाता को नहीं होगा। जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा समयावधि स्वीकृत नहीं हो जाती है।
5. वाहन जीप कैनाल कालोनी पीलीबंगा में खड़ी है, जिसे जहाँ है। जैसा है। उच्चतम बोलीदाता स्वंय के खर्चे पर उठाना होगा।
6. आयकर, बिक्री कर व अन्य स्थानीय कर यदि कोई हुआ तो वह अलग से सम्बन्धित विभाग में जमा करवाकर रसीद उपलब्ध करवानी होगी। परिवहन कार्यालय में नामान्तरण करने की जिम्मेवार स्वंय बोलीदाता की होगी।
7. बोलीदाता स्वंय के खर्चे पर जीप का निरीक्षण करेगा। वाहन की निलामी के बाद किसी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं होगी।
8. बोली में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को फोटो परिचय पत्रदेना होगा।
9. ऐसा समझा जावेगा कि बोलीदाता ने बोली देने से पूर्व जीप का निरीक्षण कर लिया है तथा विभाग की शर्ते व नियमों का अध्ययन कर लिया है। भविष्य में होने वाले विवाद के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
10. निलामी कमेटी को किसी एक या समस्त बोलियां को बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
11. कमेटी का निर्णय अन्तिम व स्वीकार्य होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक कार्यवाही के लिये क्षेत्राधिकार हनुमानगढ होगा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड द्वितीय
हनुमानगढ

क्रमांकः—लेखा/ओ—3/Vehicle/निलामी/2021/ 3803-22 दिनांक :— 28.9.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, हनुमानगढ।
4. श्रीमान् जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ।
5. श्रीमान् जिला कोषाधिकारी, हनुमानगढ।
6. उपखण्ड अधिकारी राजस्व हनुमानगढ।
7. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम/सिंचाई खण्ड रावतसर/ नोहर/भादरा/भाखड़ा सिद्धमुख/रेगुलेशन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ/रेगुलेशन खण्ड हनुमानगढ।
8. सहायक अभियन्ता खारा/घग्घर उपखण्ड/जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ/पीलीबंगा
9. रोकड़ पाल कार्यालय हाजा।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

अधिशाषी अभियन्ता

\\Abc-pc\e\NIT 2017-18

Scanned with CamScanner